रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार नवम्बर 26, 1983 (अग्रहायण 5, 1905)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26, 1983 (AGRAHAYANA 5, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that if may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	763
भाग I—खण्ड-2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1615
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	29
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1685
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड-1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड-3-उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं)	
भाग II—खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	
भाग III—खण्ड-1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	* 21079
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	739
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	219
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें आदेश, विज्ञापन, और नोटिस शामिल हैं	3587
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	199
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनो में जन्म और मृत्यु के आकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	763
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1615
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	29
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1685
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	21079
PART II—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	739
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	219
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	3587
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	199
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc, both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 1983

सं० 78-प्रेज/83—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री खालिद कमाल अंसारी, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल सं० 810715528,
22वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26 अक्तूबर, 1982, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 22वीं बटालियन की (डी) कम्पनी अमृतसर में आई । कांस्टेबल खालिद कमाल अंसारी को (राम नौमी) के जुलूस के संबंध में अन्य के साथ तैनात किया गया । उनको उप-निरीक्षक पूर्ण सिंह के साथ स्वर्ण मंदिर के निकट घन्टाघर पर तैनात किया गया । जुलूस निर्धारित मार्ग से गुजर रहा था और लगभग 15.30 बजे जुलूस का अन्तिम भाग घन्टाघर पहुंचा । श्री अंसारी कई घन्टों तक अपनी ड्यूटी के स्थान पर डटे रहे और निष्क्रियता का कोई चिन्ह प्रकट नहीं किया यद्यपि जुलूस समाप्त होने जा रहा था । अकस्मात उन्होंने अपने से कुछ गज की दूरी पर एक हथगोले जैसी वस्तु देखी । अपने चारों ओर लोगों के लिए खतरे को देखकर वे तुरन्त उस वस्तु की ओर बढ़े और उसे उठाने के लिए नीचे झुके तथा उसको दूर फेंक दिया । उन्होंने ऐसा करने में व्यक्तिगत रूप से बहुत खतरा उठाया । जैसे ही वे उसे उठाने के लिए नीचे झुके तो हथगोला फट गया । उन्होंने अपने शरीर को आड़ बनाकर विस्फोटक के धमाके को रोका और इस प्रकार किरचों को भीड़ तक नहीं पहुंचने दिया । इस कार्य को करने में उनको अनेक चोटें आईं जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई ।

श्री खालिद कमाल अंसारी, कांस्टेबल, ने इस प्रकार उत्कृष्ट, वीरता, अनुकरणीय साहस और असाधारण कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 अक्तूबर, 1982 से दिया जाएगा ।

सं० 79-प्रेज/83—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

1. श्री पद्मनाथ उपाध्याय,
सहायक उप-निरीक्षक पुलिस,
थाना सुखदेव नगर,
रांची,

2. श्री जयराम सिंह,
सहायक उप-निरीक्षक पुलिस,
थाना सुखदेव नगर,
रांची ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23 मई, 1982, को अपराह्न 12.30 बजे थाना सुखदेव नगर में टेलीफोन पर सूचना मिली कि दो वयःस्थ पेशेवर अपराधी नामतः आर्यापुरी का उदय प्रसाद साहू और अलकापुरी का विजय कुमार सिन्हा कुम्हारटोली मोहल्ला से रवाड़गढ़ मोहल्ले की तरफ मोटर साइकिल पर जाते हुए देखे गए थे । थाने की डायरी में सूचना दर्ज करने के बाद सहायक उपनिरीक्षक जय राम सिंह और उप-निरीक्षक पद्म नाथ उपाध्याय अपराधियों को बीच में रोकने के लिए थाने से रवाना हुए । उन्होंने छोटा नागपुर दिल्ली बाडी बिल्डर्स दुकान के निकट रातू रोड पर मोटर साइकिल पर जाते हुए अपराधियों को देखा । पुलिस अधिकारियों को देखकर अपराधियों ने उत्तर की तरफ एक गली में अपनी मोटर साइकिल को मोड़ दिया । पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों का पीछा किया और उनको रुकने का आदेश दिया किन्तु वे नहीं रुके । पुलिस अधिकारियों को पीछे आते हुए और निकटतर आते हुए देखकर मोटर साइकिल की पिछली सीट पर बैठे हुए विजय कुमार सिन्हा ने अपनी एक देसी पिस्तौल निकाली और पीछा करने वाले पुलिस अधिकारियों पर गोली चला दी जो सौभाग्यवश उनको नहीं लगी । पुलिस अधिकारी अपनी कारवाई से विचलित नहीं हुए । इसके बाद अपराधी ने अपने कपड़े के थैले से हथगोला निकाला और उसको पुलिस अधिकारियों पर फेंक दिया । हथगोला फटा किन्तु दोनों पुलिस अधिकारी चोट लगने से बच गये । इसके बावजूद पुलिस अधिकारियों ने हिम्मत नहीं हारी और वे अपराधियों का पीछा करते रहे । अपराधी विजय कुमार सिन्हा ने अपने थैले से दूसरा बम निकालने की कोशिश की लेकिन

उदय प्रसाद साहू, जो मोटर साइकिल चला रहा था, का संतुलन बिगड़ गया तथा वे नीचे गिर पड़े । इसी दौरान बम फट गया । दोनों सहायक उप-निरीक्षक भागते हुए अपराधियों पर झपटे । विजय कुमार सिन्हा को मामूली चोट आई । और उनको चिकित्सा के लिए भेज दिया गया ।

सहायक उप-निरीक्षक जय राम सिंह ने गिरफ्तार किए गए अपराधी विजय कुमार सिन्हा, मोटर साइकिल तथा घटनास्थल की अन्य वस्तुओं का प्रभार सम्भाला तथा सहायक उप-निरीक्षक उपाध्याय ने थाना सुखदेवनगर के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ अपराधी उदय प्रसाद साहू का पीछा किया । कोई अन्य विकल्प न रहने के कारण उदय प्रसाद साहू ने 25 मई, 1982 को रांची के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया ।

सहायक पुलिस उप-निरीक्षक पद्म नाथ उपाध्याय और सहायक उप निरीक्षक जय राम सिंह ने अपराधियों को पकड़ने में उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 मई, 1982 से दिया जाएगा ।

सं० 80-प्रेज/83—राष्ट्रपति त्रिपुरा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुबोध देव वर्मा, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
त्रिपुरा पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26 जनवरी, 1983, की रात को लगभग 22.00 बजे राइफलों और अन्य अग्नेयशस्त्रों से लैस अपने आप को कर्नल कहने वाले व्यक्ति चुनी कोलाई के नेतृत्व में लगभग 20-25 उग्रवादियों का एक गिरोह दक्षिणी गोकुलनगर पुलिस बाह्य चौकी के गुरुचरण पाड़ा में आया और चार व्यक्तियों को अपहृत करके ले गया । इस घटना पर ग्रामीणों द्वारा किए गए शोर से दक्षिणी गोकुलनगर पुलिस बाह्य चौकी और वहां पर लगाया गया केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का शिविर सतर्क हो गये ।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की गश्ती टुकड़ी कांस्टेबल सुबोध देव बर्मा के साथ उग्रवादियों की खोज में दक्षिणी गोकुलनगर से तुरन्त रवाना हो गई । श्री बर्मा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की गश्ती टुकड़ी को उस दिशा की ओर ले जा रहे थे जिस ओर गुरुचरण पाड़ा से उग्रवादी निकल गए थे । गश्ती टुकड़ी पर उग्रवादियों द्वारा राम चन्द्र पाड़ा के निकट गोली चलाई गई जिन्होंने इसके लिए इस बीच घात लगा ली थी । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने विचलित हुए बिना गोलियों की बौछार का जवाब गोलियों से दिया । श्री बर्मा उस जगह की तह तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते रहे जिस जगह से उग्रवादी गोलाबारी कर रहे थे । जब वे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को चिल्लाकर उपर्युक्त स्थान का संकेत दे रहे थे तो एक उग्रवादी की गोली उनको लगी और वे घटनास्थल पर ही वीर गति को प्राप्त हो गए । उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के परिणामस्वरूप चारों अपहृत व्यक्तियों को बचा लिया गया ।

श्री सुबोध देव बर्मा, कांस्टेबल ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 जनवरी, 1983 से दिया जाएगा ।

सं० 81-प्रेज/83—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

1. श्री नाथू सिंह, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल सं० 185,
10वीं बटालियन,
आर०ए०सी० (आई०आर०),

2. श्री लक्ष्मण सिंह, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल सं० 267,
10वीं बटालियन,
आर०ए०सी० (आई०आर०) ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

10 जनवरी, 1982, को प्रातः 9.00 बजे जल टेन्कर के रूप में प्रयोग किए जा रहे वाहन संख्या जैड०आर०एम० 1334 को जल लाने के लिए जल स्थल कांगवाई को भेजा गया । हैड कांस्टेबल शिव नाथ राम और कांस्टेबल नाथू सिंह, कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल सौभाग सिंह और कांस्टेबल तूफान सिंह को सुरक्षा दल के रूप में वाहन और ड्राइवर की सुरक्षा के लिए भेजा गया था । लगभग 12.15 बजे वाहन जल स्थल कांगवाई पहुंचा । कांस्टेबल तूफान सिंह और सौभाग सिंह पास के पानी के नल से टैंक में पानी भरने में व्यस्त थे जबकि सुरक्षा दल के अन्य सदस्य वाहन की रखवाली कर रहे थे । कांस्टेबल नाथू सिंह और कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह को वाहन के पृष्ट भाग की रखवाली करने के लिए तैनात किया गया तथा वे अन्य साथियों से लगभग 35 गज की दूरी पर थे । अकस्मात उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से उन पर गोली चला दी । दोनों कांस्टेबलों ने गोली का जवाब गोली से दिया और घटनास्थल पर एक उग्रवादी को मार गिराया । दोनों कांस्टेबलों की छाती में गोली लगने से चोटें आईं तथा चोटों के कारण वे घटनास्थल पर वीरगति को प्राप्त हो गये । उग्रवादियों ने इन कांस्टेबलों की राईफलें ले लीं और पास के धान के खेतों में से बचकर भाग गए ।

उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में कांस्टेबल नाथू सिंह और कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 जनवरी, 1982 से दिया जाएगा।

सं० 82-प्रेज/83—राष्ट्रपति हरियाणा पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

1. श्री बलजीत सिंह,
   पुलिस उप-निरीक्षक (सं० 73/एच०),

2. श्री गुलाब सिंह,
   कांस्टेबल सं० 539/जीद।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

24 जून, 1982, को श्री बलजीत सिंह, एस०एच०ओ० थाना नरवाना, जब नरवाना में (टी) प्वाइंट पर ड्यूटी पर थे तो उनको वायरलैस पर सूचना मिली कि पंजाब नेशनल बैंक, उचाना, में लगभग 1.10 बजे अपराह्न दिन दहाड़े लूटपाट की गई थी। वे कांस्टेबल कश्मीर सिंह, रामचन्द्र, बलजीत सिंह और गुलाबसिंह (ड्राइवर) के पुलिस दल के साथ एक जीप में तुरन्त उचाना की ओर रवाना हुए। जब वे गांव डूमरखान के निकट पहुंचे तो सहायक उप-निरीक्षक वेद प्रकाश, हैड कांस्टेबल बलकार सिंह और श्री सतदेव पाहवा, प्रबंधक, और श्री राम निवास, खजांची, पंजाब नेशनल बैंक, उचाना, के साथ उनसे मिले और उनको लूटपाट तथा दो अलग अलग मोटर साइकिलों पर जा रहे चार अपराधियों के मार्ग के बारे में विस्तृत रूप से उन्हें बताया। कांस्टेबल गुलाब सिंह उप निरीक्षक बलजीत सिंह द्वारा प्रयोग की जा रही सरकारी जीप को चला रहे थे। उप-निरीक्षक बलजीत सिंह ने अपराधियों का सिरसा शाखा में नहर के किनारे कालावट की ओर पीछा किया। एक आततायी ने पीछा कर रहे पुलिस दल पर गोली चलाई जो जीप में लगी किन्तु सौभाग्यवश पुलिस दल के किसी सदस्य को नहीं लगी। श्री बलजीत सिंह ने भी आत्मरक्षा में अपने सर्विस रिवाल्वर से तीन गोलियां चलाईं जो एक अपराधी की बांई टांग में लगी। नहर के किनारे कुछ दूर तक मोटर साइकिल चलाने के पश्चात उस अपराधी ने, जो मोटर साइकिल चला रहा था, और जिसे गोली लगी थी, मोटर साइकिल को छोड़ दिया और पास की झाड़ियों में छिप गया। अन्य अपराधियों ने जब अपने दो साथियों को नहर के किनारे मोटर साइकिल छोड़ते हुए देखा तो उन्होंने भी दूसरी मोटर साइकिल को छोड़ दिया।

शेष तीन आततायी खुले खेतों की ओर भाग तथा पुलिस दल पर गोली चलाने लगे। घायल आततायी को सहायक उप-निरीक्षक वेद प्रकाश और हैड कांस्टेबल बलकार सिंह की हिरासत में छोड़ दिया गया। श्री बलजीत सिंह शेष तीन अपराधियों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। इसी दौरान जीन्द के पुलिस अधीक्षक जीन्द के उपायुक्त के साथ और पुलिस बल को लेकर वहां पहुंच गये। दोनों पुलिस दलों ने तीनों अपराधियों का पीछा किया और अन्ततः उनको गिरफ्तार करने में सफल हो गये। पुलिस ने तमाम लूट के धन को बरामद कर लिया और पुलिस परिवहन के रूप में अपराधियों द्वारा प्रयोग की गई दो मोटर साइकिलों के साथ गैर-लाइसेंस शुदा देसी पिस्तौल और एक बन्दूक को भी बरामद करने में सफल हुई।

श्री बलजीत सिंह, उप-निरीक्षक और श्री गुलाब सिंह, कांस्टेबल (ड्राइवर), ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 जून, 1982, से दिया जाएगा।

सं० 83-प्रेज/83—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

1. श्री सिद्धार्थ राय,
   उप-मण्डल पुलिस अधिकारी,
   इस्लामपुर, पश्चिम दीनाजपुर,

2. श्री सतीश चन्द्र मेहरा,
   कांस्टेबल सं० 669,
   थाना चाकुलिया,
   पश्चिम दीनाजपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8 सितम्बर, 1980, को श्री सिद्धार्थ राय, उप मण्डल पुलिस अधिकारी, इस्लामपुर, को सूचना प्राप्त हुई कि आग्नेयास्त्रों और घातक हथियारों को लेकर कुछ अपराधी श्री सुरेन्द्र नाथ दास के मकान में डाका डालने के विचार से कचलु उर्फ अशीरुद्दीन, थाना चाकुलिया, जिला पश्चिम दीनाजपुर, नामक एक व्यक्ति के मकान में एकत्र हुए थ। इस सूचना के प्राप्त होने पर श्री सिद्धार्थ राय, उपमण्डल पुलिस अधिकारी, श्री सतीश चन्द्र मेहरा, कांस्टेबल, सहित उपलब्ध अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तुरन्त घटनास्थल की ओर बढ़े। गांव सौर पहुंच कर उप-मण्डल पुलिस अधिकारी ने अपने दल के साथ कचलु उर्फ अशीरुद्दीन के मकान के निकट घात लगाई। पुलिस को देखकर डाकुओं ने पुलिस दल पर गोली चला दी। श्री सिद्धार्थ राय और पुलिस दल ने गोली का जवाब गोली से दिया। इन गोलियों के आदान-प्रदान के कारण श्री सिद्धार्थ राय और श्री सतीश चन्द्र मेहेरा जख्मी हो गये किन्तु वे चोटों से विचलित नहीं हुए और अपने कार्य में लगे रहे। पुलिस की गोली बारी के परिणामस्वरूप डाकू बच कर नहीं भाग सके। नौ वयःस्थ डाकू घटनास्थल पर मारे गए और दो डाकू गम्भीर रूप से जख्मी हो गए।

जख्मी डाकुओं में से एक की बाद में चोट के कारण मृत्यु हो गई। एक डी०बी०बी०एल० बन्दूक, तीन नालीदार बन्दूकें, .303 बन्दूक के 4 रौंद, 12 बोर कारतूसों के 21 रौंद, एक किलोग्राम बन्दूक का पाउडर, तीन किलोग्राम लोहे की गोलियां और दो चाकू घटनास्थल पर बरामद किए गए ।

2. इस मुठभेड़ में श्री सिद्धार्थ राय, उप-मण्डल पुलिस अधिकारी और श्री सतीश चन्द्र मेहेरा, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

3. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 सितम्बर, 1980 से दिया जाएगा ।

सु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

कृषि मन्त्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 1983

सं० 15030/25/82-मात्स्यकी (तक०-1)—भारत सरकार ने केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी तथा इन्जीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन के पुनर्गठन/दर्जा बढ़ाने के उपायों के सम्बन्ध में सिफारिशें करने हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है । समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. प्रो० पी० वी० इन्दिरेसन,
निदेशक,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
मद्रास — अध्यक्ष

2. मुख्य अधिकारी
एम० एम० डी०,
मद्रास — सदस्य

3. डा० सी० सी० पांडुरंगा राव,
निदेशक,
केन्द्रीय मात्स्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान,
कोचीन — सदस्य

4. निदेशक,
केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी तथा इन्जीनियरी
प्रशिक्षण संस्थान,
कोचीन — सदस्य-सचिव

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) मात्स्यकी उद्योग के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की भविष्य की तथा मौजूदा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संस्थान की कार्य-प्रणाली का मूल्यांकन करना ।

(2) संस्थान का पुनर्गठन किए जाने/दर्जा बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में सिफारिश करना ।

(3) मात्स्यकी इन्जीनियरी में एक डिग्री पाठ्यक्रम तथा मत्स्य गियर प्रौद्योगिकी में एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने की सम्भावनाओं का पता लगाना तथा उसके सम्बन्ध में सिफारिश करना ।

3. समिति इसकी नियुक्ति की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

4. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सदस्यों के यात्रा भत्तों/दैनिक भत्तों को वही संगठन वहन करेंगे जहां से वे अपना वेतन तथा भत्ते लेते हैं ।

एस० बालकृष्ण
अवर सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्तूबर 1983

सं० एफ० 9-6/81-यू०-3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ वनस्थली विद्यापीठ, डाकखाना वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान) को विश्वविद्यालय समझा जाएगा ।

म० रा० कोल्हटकर,
संयुक्त सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्तूबर 1982

संकल्प

सं० एच० पी० यू०/163/82—नौवहन और परिवहन मंत्रालय (भारत सरकार) ने अपनी हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार नौवहन और परिवहन से सम्बन्धित विषयों पर हिन्दी में मौलिक और मानक पुस्तकें लिखने के लिए लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष दो पुरस्कार देने का निश्चय किया है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. हिन्दी में नौवहन और परिवहन से सम्बद्ध विषयों पर मौलिक व मानक पुस्तकें लिखने हेतु लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय की ओर से प्रति वर्ष दो पुरस्कार दिए जाएंगे :—

(क) चार्टरिंग
(ख) नौवहन और जहाज निर्माण
(ग) समुद्री इन्जीनियरिंग

(घ) राजमार्ग इन्जीनियरिंग

(ङ) अन्तर्देशीय जल परिवहन

(च) पत्तन, पत्तन व गोदी श्रमिक

(छ) सड़क परिवहन

(ज) शिपयार्ड आदि

(झ) दीपघर दीपपोत

इनमें से पहले पुरस्कार का नाम डा० वासुदेव शरण अग्रवाल पुरस्कार और दूसरे पुरस्कार का नाम डा० मोती चन्द्र पुरस्कार होगा । पहले पुरस्कार की राशि 10,000 रुपए और दूसरे पुरस्कार की राशि 5,000 रुपए होगी ।

2. पुरस्कार के लिए व्यक्तियों को चुनने का अधिकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय को होगा ।

3. यह पुरस्कार किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जा सकता है । इसके लिए मुद्रित पुस्तकें या पुस्तकें की पांडुलिपि दोनों ही स्वीकार की जाएंगी बशर्ते कि ये पुस्तकें मौलिक हों, और इन पुस्तकों से किसी दूसरे व्यक्ति के कापीराईट पर आंच न आती हो ।

4. इस पुरस्कार के लिए उन पुस्तकों पर विचार किया जाएगा जो पुरस्कार वर्ष में 14 सितम्बर से पहले प्रकाशित हुई हो । पुरस्कार वर्ष का तात्पर्य किसी वर्ष 14 सितम्बर तारीख से उससे अगले वर्ष 13 सितम्बर तक की अवधि से है ।

5. इस योजना के अधीन पुरस्कार के लिए पुस्तकें 31 अक्तूबर, तक प्राप्त की जाएगी । पुरस्कार का निर्णय 15 जनवरी तक अवश्य घोषित कर दिया जाएगा जिससे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पहले पुरस्कार के वितरण की व्यवस्था हो सके । चूंकि यह पुरस्कार का प्रथम वर्ष है अतः पुस्तकें/पांडुलिपि चयन करने के लिए एक 30-11-82 तक स्वीकार की जाएंगी ।

6. पुरस्कार के लिए सर्वोत्तम पुस्तक/पांडुलिपि का चयन करने के लिए एक समिति होगी ।

7. इस समिति में अध्यक्ष सहित सात सदस्य होंगे । नौवहन और परिवहन मंत्रालय की हिन्दी-सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव इस समिति के पदेन अध्यक्ष और सदस्य सचिव होंग ।

8. इस मूल्यांकन समिति का गठन नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा । इस समिति के सदस्यों के नाम और उसकी कार्यवाही गोपनीय रहेगी ।

9. मूल्यांकन समिति में किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने या अन्य कारणों से यदि कोई स्थान रिक्त होगा तब उसका स्थान नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा नियुक्ति कर भरा जाएगा ।

10. यह पुरस्कार मूल्यांकन समिति के किसी भी सदस्य को उक्त समिति का सदस्य रहते हुए नहीं मिलेगा जिसमें उनके सगे-सम्बन्धी भी शामिल हैं ।

11. मूल्यांकन समिति के सदस्यों का दायित्व पुरस्कार के लिए प्रस्तुत पुस्तकों/पांडुलिपियों की तुलनात्मक गुणवत्ता को आंकना होगा और पुरस्कार दिए जाने वाले व्यक्तियों के नामों और उसकी सम्बन्धित पुस्तक के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय को क्रम के अनुसार सुझाव देना होगा ।

12. यह समिति प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए नए सिरे से गठित की जाएगी ।

13. अभ्यार्थियों की पांडुलिपियों/पुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन समिति के प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में 200/- रुपए दिए जाएंगे जिनमें पदेन सदस्य शामिल नहीं हैं ।

14. नौवहन और परिवहन मंत्रालय लेखकों और प्रकाशकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अंग्रेजी और हिन्दी के मुख्य-मुख्य समाचार-पत्रों में सूचना प्रकाशित कर अनुरोध करेगा । नौवहन और परिवहन मंत्रालय पुरस्कार पर विचार करने के लिए स्वयं भी किसी भी पुस्तक को शामिल कर सकता है ।

15. लेखकों/प्रकाशकों को पुस्तक (पुस्तकों) या पांडु-लिपि की तीन-तीन प्रतियां सदस्य-सचिव को नाम से भेजनी होगी । जो पुस्तकें/पांडुलिपियां पुरस्कार के लिए भेजी जाएगी वे निर्णय घोषित होने के पश्चात लेखक/प्रकाशक को वापस कर दी जाएंगी ।

16. अगर इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किसी भी पुस्तक पर पुरस्कार मिल चुका होगा तब इस पुस्तक पर इस योजना के अधीन कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा । इस सम्बन्ध में पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक की ओर से नौवहन और परिवहन मंत्रालय को पुरस्कार की घोषणा होने से पन्द्रह दिन की अवधि में एक प्रमाण-पत्र भेजना होगा ।

17. यदि किसी पुरस्कार के लिए एक से अधिक पुस्तकें/पांडुलिपियां एक जैसी मौलिक और मानक समझी जाएगी तब उस पुरस्कार की धनराशि सम्बन्धित लेखकों में बराबर-बराबर विभाजित कर दी जाएगी ।

18 कोई भी लेखक/प्रकाशक पुरस्कार के लिए एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है। लेकिन किसी भी लेखक को एक से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

19. मूल्यांकन समिति के सदस्य सचिव को छोड़कर प्रत्येक सदस्य को नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा पुस्तकें प्राप्त होने पर एक महीने की अवधि में अपनी संस्तुति भेज देनी होगी।

20. मूल्यांकन समिति के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपनी संस्तुति को गोपनीय रखेंगे।

21. इस मूल्यांकन समिति का कार्यालय नौवहन और परिवहन मंत्रालय के हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य सचिव के अधीन होगा।

22. यह पुरस्कार नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा आयोजित राजभाषा अधिकारी सम्मेलन के अवसर पर दिया जाएगा। यह पुरस्कार पुरस्कृत लेखक को काष्ठ के फ्रेम में रजत/ताम्रपत्र के साथ दिया जाएगा जिस पर यह पाठ अंकित होगा :—

राष्ट्रीय चिह्न

श्री/श्रीमती.....................को भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा संस्थापित डा० वासुदेव शरण अग्रवाल /डा० मोती चन्द्र नामक पुरस्कार जिसकी धन राशि 10,000/–5,000 रुपए है, हिन्दी में नौवहन और परिवहन विषय पर उनकी.........नामक पुस्तक के लिए प्रदान किया गया जो उक्त पुरस्कार के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा वर्ष........में हिन्दी में एक मौलिक व मानक कृति के रूप में स्वीकार की गई।

सचिव,	मंत्री
नौवहन और परिवहन मंत्रालय	नौवहन और परिवहन मंत्रालय
स्थान: नई दिल्ली	दिनांक......

23. एक से अधिक पुस्तकों के पुरस्कार योग्य होने पर उक्त ताम्रपत्र प्रदान नहीं किया जाएगा।

24. यदि किसी वर्ष में कोई भी पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं पाई गई तब यह पुरस्कार की धन-राशि व्ययगत समझी जाएगी।

25. पुरस्कार की धन राशि क्रास्ड चैक द्वारा दी जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति प्रधानमन्त्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय और सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जनता की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

गोविन्द जी मिश्र,
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 14th November 1983

No. 78-Pres/83.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Khalid Kamal Ansari, (*Posthumous*)
Constable So. 810715528,
22nd Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 26th October, 1982, 'D' Coy of 22nd Bn., CRPF, came to Amritsar. Constable Khalid Kamal Ansari was deployed alongwith others in connection with "Ram Naumi" procession. He was positioned at Ghantaghar near the Golden Temple alongiwth Sub-Inspector Puran Singh. The procession followed the prescribed route and at about 1530 hrs. the tail end of the procession reached Ghantaghar. Shri Ansari remained at the place of his duty for hours and did not show any sign of complacency even though the procession was coming to an end Suddenly he spotted a grenade like object a few yards from him. Seeing danger to members of the public around him, he immediately rushed at the object and went down to pick it up and threw it away. He took great personal risk in doing so. The grenade exploded no sooner than he went down to pick it up. He absorbed the blast of the explosion by his body cover and thus prevented the splinters from reaching members of the crowd. In this process he died of multiple injuries.

Shri Khalid Kamal Ansari, Constable, thus exhibited conspicuous gallantry, exemplary courage and exceptional devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Presidents Police Medal and conseqently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th October, 1982.

No. 79-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Name and rank of the officers

1. Shri Padam Nath Upadhyaya,
   Asstt. Sub-Inspector of Police,
   P.S. Sukhdeo Nagar District Ranchi.
2. Shri Jai Ram Singh,
   Asstt. Sub-Inspector of Police,
   P.S. Sukhdeo Nagar, District Ranchi.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 23rd May, 1982, at 12.30 p.m., a telephonic information was received at P.S. Sukhdeo Nagar that two veteran professional criminals, namely Udai Prasad Sahu of Aryapuri and Bijai Kumar Sinha of Alkapuri have been seen going on a Motor Cycle from Kumhartoli Mohalla towards Khadgarha Mohalla. After recording the information in the police Station Diary, Assistant Sub-Inspector Jai Ram Singh and Assistant Sub-Inspector Padam Nath Upadhyaya left the Thana to intercept the criminals. They spotted the criminals on a Motor Cycle on Ratu Road near Chhota Nagpur Delhi Body Builders Shop. Seeing the police Officers the criminals

turned their Motor Cycle in a lane towards the north. The Police Officers followed the criminals and ordered them to stop but they did not. Seeing the police officers after them and coming close, Bijai Kumar Sinha who was sitting on the back seat took out a country made pistol from his person and fired a shot at the chasing police officers which luckily missed them. The police officers did not deter from their pursuit. Then the criminal took out a hand bomb from his cloth bag and threw it on the police officers. It exploded but the two police officers escaped unhurt. Inspite of this, the police officers did not lose heart and they continued to follow the criminals. Criminal Bijai Kumar Sinha tried to take out another bomb from his bag but Udai Prasad Sahu who was driving the Motor Cycle lost balance and they fell down. In the meantime the bomb exploded. Both the Assistant Sub-Inspectors pounced upon the fleeing criminals. Bijai Kumar Sinha was slightly injured and was sent for medical aid.

Assistant Sub-Inspector Jai Ram Singh took charge of the arrested criminal Bijai Kumar Sinha, Motor Cycle and other exhibits at the spot and Assistant Sub-Inspector Upadhyaya chased the other criminal Udai Prasad Sahu with other officers and men of P.S. Sukhdeo Nagar. Having been left with no other alternative Udai Prasad Sahu surrendered in Ranchi Court on 25-5-1982.

Shri Padam Nath Upadhyaya and Shri Jai Ram Singh, Assistant Sub-Inspectors of Police, thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty in apprehending the criminals.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd May, 1982.

No. 80-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Tripura Police :—

Name and rank of the officer

Shri Subodh Deb Barma, (*Posthumous*)
Constable, Tripura Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of 26th January, 1983 at about 2200 hrs. a gang of about 20-25 extremists armed with rifles and other fire-arms and led personally by self-styled Col. Chuni Kolai came to Gurucharan Para of South Gakulnagar Police out-Post and kidnapped four persons. The hue and cry raised by the villagers over this incident alerted south Gakulnagar Police Out-Post and the CRPF Camp located there.

A CRPF Patrol alongwith Constable Subodh Deb Barma immediately left South Gakulnagar in search of the extremists. Shri Barma was leading the CRPF Patrol towards the direction to which the extremists had gone from Gurucharan Para. The Patrol was fired upon near Ram Chandra Para by the extremists who had in the meanwhile laid ambush for it. Undettered by the shower of bullets, the CRPF returned the fire. Shri Barma continued to advance to pinpoint the position from where the extremists were firing. While he was indicating the above position to CRPF by shouting, he was hit by a bullet fired by one of the extremists and died on the spot. As a result of encounter with the extremists, all the four kidnapped persons were rescued.

Shri Subodh Deb Barma, Constable, thus displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th January, 1983.

No. 81-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Rajasthan Police :—

Name and rank of the officers

Shri Nathu Singh, (*Posthumous*)
Constable No. 185,
10th Bn., R.A.C. (IR)

Shri Laxman Singh, (*Posthumous*)
Constable No. 267,
10th Bn., R.A.C. (IR)

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 10th January, 1982, at 9 A.M., vehicle No. ZRM 1334 being used as water tanker was sent to the water point Kangvai to fetch water. A guard consisting of H. C. Shiv Nath Ram and Constables Nathu Singh, Laxman Singh, Sobhag Singh and Toophan Singh was sent for the protection of vehicle as well as the driver. At about 12.15 hours, the vehicle reached the water point Kangvai. Constables Toophan Singh and Sobhang Singh were busy in filling water in the tank from a nearby tap, while other members of the guard were guarding the vehicle. Constable Nathu Singh and Constable laxman Singh were detailed to guard the vehicle from the rear and were at a distance of about 35 yeards from others. Suddenly the extermists opened fire on them with automatic weapons. Both the Constable returned the fire killing one extremist on the spot. Both the Constables sustained bullet injuries in their chests and succumbed to the injuries on the spot. The extremists took the rifles of these constables and made good their escape through adjoining paddy fields.

In the encounter with the extremists Constable Nathu Sinngh and Constable Laxman Singh exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 10th January, 1982.

No. 82-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Haryana Police :—

Name and rank of the officers

Shri Baljit Singh,
Sub-Inspector of Police (No. 73/H),
Shri Gulab Singh,
Constable No. 539/Jind.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 24th June, 1982', Shri Baljit Singh, SHO Police Station Narwana, was on duty at 'T' Point, Narwane, when he got information on wireless that a day-light robbery had been committed in the Punjab National Bank Uchana at about 1.10 P.M. He alongwith the Police party consisting of Constables Kashmir Singh, Ram Chander, Baljit Singh and Gulab-Singh (Driver) sped towards Uchana in a Jeep. When he reached near village Dumerkhan, ASI Ved Parkash alongwith Head Constable Balkar Singh and Shri Sat Dev Pahwa, Manager and Shri Ram Niwas, Cashier, Punjab National Bank, Uchana met him and gave him the details of the robbery and the route on which these four criminals were proceeding on two separate Motor Cycles. Constable Gulab Singh was driving Government Jeep used by Sub-Inspector Baljit Singh. Sub-Inspector Baljit Singh chased the criminals on canal bank Sirsa Branch towards Kalavat. One of the desperadoes fired at the pursuing Police party which hit the Jeep but luckily none of the members of the Police party was hit. Shri Baljit Singh, in his self defence, also fired three shots from his service revolver hitting one of the criminals on his left leg. After driving some distance on the canal bank, the criminal, who was driving, was hit by the shot, left the Motor Cycle and hid himself in the nearby bushes. The second Motor cycle was also left by the other criminals when they saw their two companions leaving their Motor Cycle on the canal bank.

The remaining three desparadoes ran towards the open field and started firing on the Police Party. The injured desperadoes was left in the custody of ASI, Ved Prakash and Head Constable Balkar Singh, Shri Baljit Singh went ahead chasing the remaining three criminals. Meanwhile, the S.P., Jind accompanied by the Dy. Commisioner, Jind, reached there with more Police force. Both the Police parties chased the three criminals and ultimately succeeded in arresting them.

The Police were able to recover the entire robbed money and also succeeded in the recovery of un-licenced country made pistols and a gun alongwith two Motor-Cycles used by the Criminals as means of transport.

Shri Baljit Singh, Sub-Inspector, and Shri Gulab Singh, Constable (Driver), thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance, admissible under rule 5, with effect from the 24th June, 1982.

No. 83-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the West Bengal Police :—

Name and rank of the officers

Shri Siddhartha Roy,
Sub-Divisional Police Officer,
Islampur, West Dinajpur.

Shri Satish Chandra Mehara,
Constable No. 669,
P.S. Chakulia,
West Dinajpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 8th September, 1980, Shri Siddhartha Roy, S.D.P.O., Islampur, received an information that some criminals carrying fire arms and lethal weapons had assembled in the house of one Kachalu alias Ashiruddin, P.S. Chakulia, District West Dinajpur with a view to commit dacoity in the house of Shri Surendra Nath Dar. Immediately on receipt of this information, Shri Roy rushed to the spot with the available officers and men including Shri Satish Chandra Mehara, Constable. Arriving at village Saur, the SDPO laid an ambush with his party near the house of Kachalu alias Ashiruddin. On sighting the police, the dacoits opened fire on the police party. Shri Roy and the police party returned the fire. Due to this exchange of fire, Shri Roy and Shri Mehara sustained bullet injuries but they stuck to their task undeterred by the injuries. As a result of police firing, the dacoits could not make good their escape. Nine veteran dacoits were killed on the spot and two dacoits were seriously injured. One of the injured dacoits succumbed to his injury later on. One DBBL gun, three nine guns, 4 rounds of .303 ammunition, 21 rounds of .12 bore cartridges, one Kg. gun powder, three Kgs. of iron balls and two knives were seized from the spot.

In this encounter Shri Siddhartha Roy, SDPO, and Shri Satish Chandra Mehara, Constable, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a very high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th September, 1980.

S. NILAKANTAN
Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 28th September 1983

No. 15030/25/82-FY(T-1).—The Government of India have decided to set up a Committee for recommending the measures to be taken and for reorganisation/upgradtion of Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training Cochin. The Committee will consist of the following :—

Chairman

1. Prof. P. V. Indiresan,
Director,
Indian Institute of Technology,
MADRAS.

Members

2. Principal Officer,
M.M.D. Madras.

3. Dr. C.C. Panduranga Rao,
Director,
Central Instt. of Fisheries
Technology,
Cochin.

Member Secretary

4. Director,
Central Instt. of Fisheries
Nautical & Engineering Training
Cochin.

2. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) To evaluate the working of the Institute in the light of the future and present requirements of the trained personnel for the fishing industry.

(ii) To recommend reorganisation/upgradation of the Instt.

(iii) To explore and recommend possibility of starting a degree course in fishery engineering as well as a post graduate diploma course in fishing gear technology.

3. The Committee shall submit its report to the Government of India within a period of six months from the date of its appointment.

4. The TA/DA for the Members for attending meetings of the Committee will be borne by the organisations from where they draw their pay and allowances.

S. BALAKRISHNAN,
Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 25th October 1983

No. F.9-6/81-U.3.—In exercise of the powers conferred by Seition 3 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956) the Central Government, on the advice of the Commission, hereby declare that Banasthali Vidyapith, P. O. Banasthali Vidyapith (Rajasthan) shall be deemed to be a University for the purpose of the aforesaid Act.

M. R. KOLHATKAR
Jt. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(HINDI SECTION)

New Delhi, the 20th October 1983

RESOLUTION

No. HPU/163/82.—On the recommendation of its Hindi Salahkar Samiti, the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport have decided to institute awards to encourage authors to write original and standard books in Hindi details of which is as given below :—

"1. Two awards will be given by the Ministry of Shipping and Transport every year to the authors to encourage them for writing original and standard books in Hindi on the following subjects relating to Shipping and Transport :—

(i) Chartering.
(ii) Ship building.
(iii) Marine Engineering.
(iv) Highway Engineering.
(v) Inland Water Transport.
(vi) Ports, Port and Dock Labour.
(vii) Road Transport.
(viii) Shipyard.
(ix) Lighthouse and Lightships.

Of the above two awards, one will be known as Dr. Vasudev Saran Agarwal Award and the other as Dr. Moti Chandra Award. The value of the first award will be Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only) and that of second award will be of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only).

2. The Ministry of Shipping and Transport will have the right to select the persons for giving away the award.

3. This award can be given to any Indian Citizen. All printed or manuscript of the books will be accepted for consideration. These books should be original and do not infringe the copy right of others.

4. Only such books will be accepted for consideration of the award which have been published before 14th September, in the year of award. The period from 14th September of any year to the 13th September of the next year will be treated as award year.

5. Under this scheme books etc. will be accepted upto 31st October of the year. The decision of the award will be declared by the 15th January so that the award is disbursed before the end of the financial year. (Since this is the 1st year of award, books/manuscripts will be accepted upto 30th November, 1982)

6. There will be an 'Evaluation Committee' for selecting the best book/manuscript.

7. There will be seven members in this Committee including its Chairman. The Chairman and member-Secretary of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Shipping and Transport will be its ex-officio Chairman and member-Secretary.

8. The 'Evalution Committee' will be constituted by the Ministry of Shipping and Transport. The names of the members of the Committee and the proceedings of the Evalution Committee will be kept secret.

9. In case any vacancy arises due to resignation of the member of any other reasons then the vacancy will be filled up by the Ministry of Shipping and Transport.

10. No award will be given to the members of the Evaluation Committee or to any of their relatives.

11. The duties of the members of the Evaluation Committee will be to assess the books received on the basis of their merit and to recommend in order the names of the authors and their books to the Ministry of Shipping and Transport for giving away the award.

12. The Evaluation Committee will be constituted every year.

13. Every member will be given Rs. 200/- each as remuneration except the ex-officio members assessing the books/maunscripts of the candidates.

14. The Ministry of Shipping and Transport will release a notice in this regard in leading newspapers of English and Hindi to invite the attention of authors and publishers. The Ministry of Shipping and Transport can include any book for consideration on its own.

15. The authors/Publishers would send three copies of the book(s) or manuscripts by name to the member-Secretary of the Evaluation Committee. The books/manuscripts so received will be returned to the author/publisher immediately after the declaration of award.

16. If any book has already been awarded then no award will be given on that book under this scheme. The authors will have to furnish a certificate in this regard to the Ministry of Shipping and Transport within a fortnight after declaration of the award.

17. If one or more books/manuscripts are considered origional and upto the mark for any of the award then the amount will equally be devided among them.

18. Any author/publisher can send more than one entries but no author will get more than one award.

19. Every member of the 'Evaluation Committee' shall submit his recommendation within a period of one month of the receipt of the books except the member-Secretary.

20. It is expected from the members of 'Evaluation Committee' that they will keep their recommendations secret.

21. The office of the 'Evaluation Committee' willl work under the supervision of the member-Secretary of the Hindi Salakhar Samiti of the Ministry.

22. The awards shall be given on the occasion of the Official Language Officer's Conference convened by the Ministry of Shipping and Transport. The award will be given alongwith the following text in Devnagari script inserted on the silver/copper plaque.

23. If more than one book are selected for award to copper plaque will be given.

24. If no book is selected, the amount of the ward will lapse.

25. The amount of the award will be disbursed by crossed cheque.

NATIONAL SYMBOL

Shri/Smt.— ———— has been awarded Dr. V. Vasudev Saran Agrawal Award/Dr. Moti Chandra Award which is of Rs. 10,000/- and Rs. 5000/- instituted by the Ministry of Shipping & Transport, Government of India for his/her book namely which has been adjudged the original and standard writing in Hindi by the said Ministry of Shipping and Transport for the year ————

(Signature) (Signature)

Secretary,

Ministry of Minister of

Shipping & Transport. Shipping & Transport.

Place : New Delhi Dated:— — ————

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha, Rajya Sabha Secretariat and Ministries/Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. J. MISRA,
Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983.